मुंबई पत्तन प्राधिकरण

13 दिसंबर 2023 को आयोजित बैठक संख्या 10 में बोर्ड के संकल्प.

अनु. क्र.	बोर्ड संकल्प संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
1.	185	आयात पोतभार पर विलंब शुल्क तथा कंटेनरों पर लाइसेंस (भंडारण) शुल्क की उगाही हेतु विस्तारित नि:शुल्क दिन.	बोर्ड ने नोट के पैरा 12 में दिए गए यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	यातायात
2.	186	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी [प्रतिपूरक (शहर) भत्ता] विनियम, 1975 को निरस्त करना.	बोर्ड ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी [प्रतिपूरक (शहर) भत्ता] विनियम, 1975 को निरस्त करने के वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया.	वित्त
3.	187	संपदा अधिकारी सहित किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु न्यासियों/ बोर्ड के संकल्प प्रमाणित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन.	बोर्ड ने संबंधित विभाग प्रमुख के लिखित आदेश द्वारा यथा नामित प्रत्येक विभाग / प्रभाग के वरिष्ठ स्थापना अधिकारी को बोर्ड के संकल्प को प्रमाणित करने हेतु शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के मुख्य विधि अधिकारी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया, जो सामान्य प्रशासन विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त संकल्पों को प्रमाणित करेंगे.	विधि
4.	188	मुंपप्रा अस्पताल में लोकम आधार पर नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के वेतन तथा भत्तों में सुधार - आर.आर. सिन्हा समिति का रिपोर्ट - (रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 26 में दिए गए बिंदु संख्या 17)	विचार-विमर्श आस्थागित.	चिकित्सा

अनु. क्र.	बोर्ड संकल्प संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
5.	189	स्कैडा परियोजना, टीसीबी परियोजना तथा ऑयल पाइपलाइन प्रभाग के पाइपलाइनों तथा संबद्ध कार्य के एकीकृत मूल्यांकन हेतु तकनीकी सलाहकार/समिति की नियुक्ति.	बोर्ड ने मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया : (i) श्री.जी.एस. वानखेडे (सेवानिवृत्त) कार्यपालक निदेशक, बीपीसीएल की स्कैडा तथा ओपीएल-सतेट जवाहर द्वीप तथा पिरपाव और तृतीय रसायन पोतघाट के निर्माण - एमईपी तथा अग्निशमन कार्य हेतु तकनीकी सलाहकार के रुप में नियुक्ति तथा (जीएसटी को छोडकर) उनको ₹12500 + प्रतिभेंट / बैठक ₹5000 परिवहन के दर से शुल्क का भुगतान करना. (ii) पाइपलाइनों की अखंडता के मूल्यांकन का कार्य तथा ऑयल पाइपलाइन प्रभाग के संबद्ध कार्य के लिए श्री. जी.एस. वानखेडे (सेवानिवृत्त) कार्यपालक निदेशक, बीपीसीएल तथा श्री. मनोहर एन. राव, कार्यपालक निदेशक, बीपीसीएल को शामिल करके विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति तथा प्रत्येक को जीएसटी को छोडकर ₹12500 + प्रतिभेंट/बैठक ₹5000 परिवहन के दर से शुल्क का भुगतान करना. (iii) 18% जीएसटी तथा 3% आकस्मिकताओं को शामिल कर ₹21,48,500 राशि के विस्तृत प्राक्कलन संख्या एमईईडी. 73/ 2023-24 तथा उसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्याप्त बजट प्रावधान करना.	यांत्रिकी तथा विद्युत अभियांत्रिकी

अनु. क्र.	बोर्ड संकल्प संख्या	विषय	पारित संकल्प	विभाग/ प्रभाग
6.	190	उच्च न्यायालय ओओसीजे रिट याचिका संख्या (एल)33250 वर्ष 2022 मेक इंडिया इम्पेक्स, प्रोप्राइटर राजेश नाखवा का मालिकाना संबंध विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया तथा 5 अन्य - मेक इंडिया इम्पेक्स का दिनांक 21.8.2023 तथा 4.9.2023 का अभ्यावेदन.	विचार-विमर्श आस्थागित.	यातायात

----

10. Pro 13 December 2023\actiontaken20231213(Hindi).doc